सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन, 1937 (श०)

संख्या 35 राँची, बुधवार

7 अक्टूबर, 2015 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। **305-313**

भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1—ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और **2**, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-**2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-**2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग **3**—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-**4**—झारखण्ड अधिनियम

भाग-**5**—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-**7**—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-**8**- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-**9**- विज्ञापन **---**

भाग-**9**-क—बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-**9**-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- **...** **...**

पूरक अ **...** **...**

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

(पर्यटन संभाग)

संकल्प

28 अगस्त, 2015

विषय: राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु पर्यटन स्थलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण तथा योजनाओं के चयन हेतु प्राथमिकता निर्धारण की नीति की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या - पर्यटन/विविध - 55/2014/1494--पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास का कार्य किया जाता है। राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल से लेकर स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल अत्यधिक संख्या में उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं के मद्देनजर झारखण्ड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है । ऐसी स्थिति में राज्य के सभी पर्यटन स्थलों का क्रमिक विकास करना आवश्यक है। परन्तु विभाग का सीमित बजट उपबंध के कारण इन सभी स्थलों का एक साथ एक ही वित्तीय वर्ष में विकास करना संभव नहीं है ।

2. **अतः राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन स्थलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण हेतु एक नीति तैयार की गई है, जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है ।**

3. **इस नीति में राज्य के पर्यटन स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के प्रावधान के साथ-साथ राज्य के पर्यटन स्थलों को चार वर्गो, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल (श्रेणी A), राष्ट्रीय महत्व महत्व के पर्यटन स्थल (श्रेणी B), राजकीय महत्व के पर्यटन स्थल (श्रेणी C) तथा स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल (श्रेणी D) में बाँटते हुए पर्यटन स्थलों के विकास कार्य (नई योजनाएँ) हेतु प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का प्रावधान किया गया है ।**

4 राज्य के पर्यटन प्रक्षेत्र/स्थल को पर्यटन क्षेत्र/स्थल के रूप में अधिसूचित करने के लिए अनुशंसा करने, पर्यटन स्थलों को समुचित वर्ग में वर्गीकृत करने, पर्यटन स्थलों के विकास योजनाओं की स्वीकृति हेतु पर्यटन स्थलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने हेतु राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति के गठन का भी प्रावधान इस नीति में है ।

5. इस नीति में जिला स्तर पर जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति के गठन का भी प्रावधान है ।

7. यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अविनाश कुमार,
सरकार के सचिव ।

राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु पर्यटन स्थलों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण तथा योजनाओं के चयन हेतु प्राथमिकता निर्धारण की नीति

1. पर्यटन विभाग की योजनाएँ उन्हीं प्रक्षेत्रों में लागू होगी जिसे पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा पर्यटन क्षेत्र/स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया होगा।

2. एक राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (State Tourism Promotion Committee), जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा, किसी प्रक्षेत्र/स्थल को पर्यटन क्षेत्र/स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु विभाग को अनुशंसा करेगी:-

i. सचिव,पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार । अध्यक्ष

ii. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची या उनके प्रतिनिधि । सदस्य

iii. निदेशक, कला संस्कृति, झारखण्ड, राँची । सदस्य

iv. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि., राँची । सदस्य

v. मुख्य अभियंता,पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार । सदस्य

vi. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची । सदस्य सचिव

3. यह समिति इन पर्यटन क्षेत्रों/स्थलों का वर्गीकरण चार श्रेणीयों 'A', 'B', 'C' तथा 'D' के रूप में करेगी।

i. श्रेणी 'A': अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल:- इस श्रेणी में वे पर्यटन स्थल/क्षेत्र होंगे जहाँ देशी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी पर्यटन के लिए आते हों या विदेशी पर्यटकों के आने की अधिकाधिक संभावना हो। ऐसे स्थलों पर पर्यटकों की नियमित संख्या (प्रत्येक माह) अत्यधिक होगा ।

ii. श्रेणी 'B': राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल:- इस श्रेणी में वे पर्यटन स्थल/क्षेत्र होंगे जहाँ झारखण्ड के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य राज्यों के पर्यटक आते हों या उनके आने की अधिकाधिक संभावना हो ऐसे स्थलों पर पर्यटकों की नियमित संख्या (प्रत्येक माह) श्रेणी 'A' के अपेक्षा कम होगा ।

iii. श्रेणी 'C': राजकीय महत्व के पर्यटन स्थल:- इस श्रेणी में वे पर्यटन स्थल/क्षेत्र होगें जहाँ राज्य के लोग ही पर्यटन के लिए आते हों या आने की अधिकाधिक संभवना हों। ऐसे स्थलों पर पर्यटकों की नियमित संख्या श्रेणी 'B' से काफी कम होगा ।

iv. श्रेणी 'D' स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल:- इस श्रेणी में वे स्थल/क्षेत्र होंगे जहाँ केवल स्थानीय/आस-पास के लोग ही पर्यटन के लिए जाते हों। ऐसे स्थलों पर पर्यटको की नियमित संख्या श्रेणी 'C'के पर्यटन स्थलों की अपेक्षा काफी कम होगी ।

4. श्रेणी "A" से "D" तक के पर्यटक स्थल के विकास योजनाओं की स्वीकृति हेतु चयन का प्राथमिकता क्रम निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा-

i.

a. श्रेणी 'A'एवं 'B': इन श्रेणीयों के पर्यटन स्थलों के विकास योजनाओं का प्राथमिकता क्रम निर्धारण राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति (State Tourism Promotion Committee)द्वारा प्रत्येक वर्ष सितम्बर - अक्टूबर माह माह में (आगामी वित्तीय वर्ष के लिए) ही कर ली जाएगी ।

b. श्रेणी 'A'एवं 'B' स्थलों/क्षेत्रों के विकास योजनाओं हेतु D.P.R.तैयार करने के लिए Consultant का चयन भी State Tourism Promotion Committee विभागीय अधिसूचना संख्या-04, दिनांक-18.05.2015 के प्रावधानों के अनुसार करेगी। उक्त अधिसूचना में उल्लेखित समिति के स्थान पर State Tourism Promotion Committee प्रतिस्थापित हो जाएगी ।

c. श्रेणी 'A' एवं 'B' के योजनाओं का कार्यान्वयन सामान्यतः पर्यटन निदेशालय द्वारा विभागीय अभियंत्रण कोषांग के माध्यम से कराया जायेगा ।

d. प्राथमिकता क्रम निर्धारण में यथासंभव Cyclic Order का पालन किया जाय ताकि एक वित्तीय वर्ष में प्रथम प्रथम प्राथमिकता क्रम प्राप्त स्थल अगले वित्तीय वर्ष में अंतिम प्राथमिकता क्रम में रहे जिससे सभी पर्यटन स्थलों का का क्रमिक विकास हो सके ।

ii.

a. श्रेणी 'C' के स्थलों/क्षेत्रों के विकास योजनाओं के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण JTDC द्वारा प्रत्येक वर्ष सितम्बर- अक्टूबर माह में (आगामी वित्तीय वर्ष के लिए) कर ली जाएगी ।

b. इन योजनाओं के लिए D.P.R. झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि॰ द्वारा तैयार कराया जायेगा ।

c. इन योजनाओं का सामान्यतः झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि॰ के माध्यम से ही कराया जायेगा ।

d. प्राथमिकता क्रम निर्धारण में यथा संभव Cyclic Order का पालन किया जाय ताकि एक वित्तीय वर्ष में प्रथम प्रथम प्राथमिकता क्रम प्राप्त स्थल अगले वित्तीय वर्ष में अंतिम प्राथमिकता क्रम में रहे जिससे सभी पर्यटन स्थलों का का क्रमिक विकास हो सके ।

iii.

a. श्रेणी 'D' स्थलों/क्षेत्रों के विकास योजना का प्रस्ताव संबंधित जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार प्रकार जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति गठित कर समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगा -

i. उपायुक्त अध्यक्ष

ii. अपर समाहर्ता सदस्य

iii. वन प्रमण्डल पदाधिकारी सदस्य

iv. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य

v. जिला अभियंता, जिला परिषद सदस्य

vi. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

(संबंधित प्रखण्ड के) विशेष आमंत्रित सदस्य

vii. उप विकास आयुक्त, कार्यकारी सदस्य

b. यह समिति एक ही जिला के एक से अधिक 'D' के स्थलों के विकास का प्राथमिकता क्रम का निर्धारण करेगी।

c. यह समिति किसी स्थल/क्षेत्र को पर्यटन स्थल/क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने हेतु अनुशंसा विभाग को भेजेगी, जिसपर राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति विचार करेगी ।

d. अलग-अलग जिला से प्राप्त 'D' को स्थलों/क्षेत्रों के विकास क्रम का प्राथमिकता निर्धारण विभाग स्तर पर किया जायेगा ।

e. प्राथमिकता क्रम निर्धारण में यथा संभव Cyclic Order का पालन किया जाय ताकि एक वित्तीय वर्ष में प्रथम प्रथम प्राथमिकता क्रम प्राप्त स्थल अगले वित्तीय वर्ष में अंतिम प्राथमिकता क्रम में रहे जिससे सभी पर्यटन स्थलों का का क्रमिक विकास हो सके ।

5. कुछ ऐसे स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है जो वास्तव में पर्यटन स्थल न होकर पिकनीक स्थल/पूजा स्थल होते हैं। ऐसे स्थलों पर वर्ष के एक या दो दिन ही लोग जाते हैं। ऐसे स्थलों पर किसी स्थाई संरचना का निर्माण उचित नहीं है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिन इसका उपयोग नहीं होगा ।

6. स्थलों/क्षेत्रों के विकास योजना का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते समय निम्न-बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा ।

i. ऐसे स्थलों पर, जहाँ पर्यटकों के रात्रि विश्राम की आवश्यकता प्रतित होती हो, वहाँ बड़े होटल/Tourist Complex/Way Side Amenity के निर्माण कार्य को अधिक प्राथमिकता दी जाय ।

ii. बड़े शहरों में Amusement Park/ Water Park इत्यादि योजनाओं को अधिक प्राथमिकता दिया जाय ।

iii. साहसिक पर्यटन के विकास योजनाओं को अधिक प्राथमिकता दिया जाय ।

7. किसी भी पर्यटन स्थल के विकास योजनाओं में उन सभी अवयवों को शामिल किया जाएगा जिससे उस क्षेत्र का सम्पूर्ण पर्यटकीय विकास हो तथा उन योजनाओं में सर्वप्रथम निम्न कार्यों को शामिल करने को प्राथमिकता दिया जाय यथा - पर्यटक सुविधा केन्द्र (Tourist Convenience Block), (ii) पर्यटक-शेड (iii) पार्किंग स्थल (iv) Food Court/Restaurant/Food Kiosk (v) Pathway (vi) Benches (vi) अपद्ध पेयजल की सुविधा (vii)सम्पर्क पथ ।

8. किसी स्थल के विकास के संबंध में किसी भी पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में स्थल पर पर्यटकों की नियमित संख्या, भूमि की उपलब्धता तथा प्रकार (सरकारी/निजी/वन भूमि), स्थल का महत्व (ऐतिहासिक, धार्मिक आदि), स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य, विकास कार्य की संभावित उपयोगिता (निर्मित संरचनाओं का जनहित में उपयोग,

विकास के फलस्वरूप पर्यटकों की नियमित संख्या में वृद्धि), स्थल/क्षेत्र के पर्यटन संभावना में वृद्धि, स्थल का रख-रखाव एवं प्रबंधन के संबंध में स्पष्ट जानकारी का होना आवश्यक होगा ।

9. प्राथ्मिकता सूची में उच्च प्राथमिकता प्राप्त किसी योजना का प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने, तकनीकी अनुमोदित अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने, भूमि की उपलब्धता नहीं होने या योजना की स्वीकृति के पूर्व इस प्रकार की औपचारिकताएँ पूर्ण करने में यदि विलम्ब हो तो ऐसी स्थिति में निम्न प्राथमिकता प्रदत् योजनाएँ जिनकी स्वीकृति पूर्व की औपचारिकताएँ पूर्ण हों, की स्वीकृति पहले दी जा सकेगी ताकि बजट में उपबंधित राशि का व्यय ससमय हो सके तथा वर्ष के अन्त में राशि का प्रत्यार्पण करने की स्थिति उत्पन्न न हो ।

10. कोई ऐसी योजना जो प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं हो या अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता प्राप्त है के संबंध में यदि विभाग को ऐसा प्रतीत हो कि इसे स्वीकृत करना जनहित में उपयोगी सिद्ध होगी तो ऐसी योजनाओं के निम्न प्राथमिकता प्राप्त या प्राथमिकता सूची में नहीं होते हुए भी आपेक्षाकृत पहले स्वीकृत की जा सकती है ।

11. यदि न्यायालय द्वारा किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु आदेश दिया गया हो तो ऐसी योजना प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं होने या अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता में होने के वावजूद भी पहले स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे स्थलों/क्षेत्रों का किसी घोषित पर्यटन प्रक्षेत्र में शामिल नहीं होने पर उसे डिम्ड पर्यटन प्रक्षेत्र/स्थल माना जाएगा ।

12. पार्क, साहसिक पर्यटन, । Amusement Park, Way Side Amenity, Tourist Information Centre, Hotel इत्यादि का निर्माण ऐसे स्थलों पर भी कराया जा सकता है जो पर्यटन प्रक्षेत्र/स्थल के रूप में घोषित नहीं हैं, ऐसे स्थल Deemed पर्यटन स्थल की श्रेणी में आयेंगे ।

13. पर्यटन योजनाओं को यथासंभव PPP Mode पर तैयार किया जाय जिसमें Basic Amenity का निर्माण सरकार के खर्च से हो जबकि अन्य परिसम्पतियों जैसे - होटल, टूरिस्ट काॅम्पलेक्स/Way Side Amenity/Tourist Information Centre आदि का निर्माण निजी एवं सरकारी हिस्सेदारी का प्रावधान हो ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अविनाश कुमार,
सरकार के सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SARTHAK KUMAR **पुत्र** SATISH KUMAR **शपथ पत्र सं० 653 दिनांक 4 सितम्बर, 2015 के अनुसार** SARTHAK GAKHAR **के नाम से जाना जाऊँगा ।**

SARTHAK KUMAR **एवं** SARTHAK GAKHAR **दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है ।**

ORIENTAL BANK,
LANE, OPP. PARAS
APPARTMENT COURT ROAD,
RANCHI 834001

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं CHITTARANJAN PAN **पुत्र** KRISHNA CHANDRA DAS MALLICK **शपथ पत्र सं० 206 दिनांक 2 सितम्बर, 2015 के अनुसार** CHITTARANJAN DAS MALLICK **के नाम से जाना जाऊँगा ।**

CHITTARANJAN PAN **एवं** CHITTARANJAN DAS MALLICK **दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है ।**

VILLAGE- PARSA,
POST + PS.- MAJHGAON
DIST- WEST SINGHBHUM,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHREYA **पुत्री** RAJESH KUMAR **शपथ पत्र सं० 3404 दिनांक 11 सितम्बर, 2015 के अनुसार** SHREYA SHAMBHAVI **के नाम से जानी जाऊँगी ।**

SHREYA **एवं** SHREYA SHAMBHAVI **दोनों एक ही महिला का नाम है ।**

LAXMI NAGAR,
LALGUTWA,
P.S.- NAGRI,
DIST- RANCHI
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUPRIYA KUMARI **पुत्री** UMESH KUMAR **शपथ पत्र सं० 822 दिनांक 25 मई, 2015 के अनुसार** SUPRIYA SAHA **के नाम से जानी जाऊँगी ।**

SUPRIYA KUMARI **एवं** SUPRIYA SAHA **दोनों एक ही महिला का नाम है ।**

VILLAGE-KETARIBAGAN (SAMLONG),
P.O+PS.- NAMKUM
DIST- RANCHI 834010
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं NOORAN BIBI (NISHA) **पत्नी** MD. MANJUR ANSARI **शपथ पत्र सं० 65408 क्रम संख्या-02 दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के अनुसार** NUROON NISHA **के नाम से जानी जाऊँगी ।**

NOORAN BIBI (NISHA) **एवं** NUROON NISHA **दोनों एक ही महिला का नाम है ।**

RESIDIDING AT- QR. NO. 2016, SECTOR-XII/C,
P.O. SECTOR-12, B.S. CITY,
DIST- BOKARO
JHARKHAND

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 35–50 ।